



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 2, 2012/फाल्गुन 12, 1933
No. 87] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 2, 2012/PHALGUNA 12, 1933

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2012

सा.का.नि. 115(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 5 में (इसमें इसके पश्चात् उपर्युक्त नियमावली के नाम से संदर्भित) उप-नियम (8) के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(8) सेवा के किसी सदस्य के वेतनबैंड अथवा समय वेतनमान में प्रोफॉर्मा पदोन्नति के लिए पदोन्नति द्वारा कवर की गई उसकी सेवा की अवधि, संवर्ग में उसकी वापसी और उपर्युक्त वेतनमान में किसी पद पर उसकी नियुक्ति होने पर इस शर्त के अधीन कि उसको प्रोफॉर्मा पदोन्नति निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करने के बाद स्वीकृत की गई है, प्रारंभिक वेतन नियतन और वेतन वृद्धि नियमित करते समय आंकी जाएगी, अर्थात् :—

(i) संबंधित सेवा के ऐसे सदस्य को, संगत अवधि के दौरान उपर्युक्त वेतनमान में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।

(ii) ऐसे सदस्य (उनको छोड़कर जिन्हें अनुपयुक्त माना गया है) से सेवा के सभी वरिष्ठ सदस्यों द्वारा, उस तारीख को, जब उसे प्रोफॉर्मा पदोन्नति प्रदान कर दी गई है, अथवा उससे पहले उस वेतनमान में वेतन आहरित करना शुरू कर दिया हो।

(iii) उच्चतर ग्रेड में रिक्ति को, जिसमें सेवा के सदस्य को प्रोफॉर्मा पदोन्नति प्रदान की गई है, प्रतिनियुक्ति से उसके वापस लौटने के समय में संवर्ग में उपलब्ध होना चाहिए।”

[फा. सं. 11030/3/2010-अ.भा.से.-II]

दीप्ति उमाशंकर, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 20-3-2007 की सं. सा.का.नि. 213(अ), द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे एवं तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 23(अ), दिनांक 10-1-2008, सं. सा.का.नि. 665(अ), दिनांक 19-9-2008, सं. सा.का.नि. 253(अ), दिनांक 15-4-2008 सं. सा.का.नि. 542(अ), दिनांक 21-7-2009, सं. सा.का.नि. 572(अ), दिनांक 13-8-2009, सं. सा.का.नि. 820(अ), दिनांक 12-11-2009, सं. सा.का.नि. 72(अ), दिनांक 10-2-2010, सं. सा.का.नि. 102(अ), दिनांक 25-2-2010, सं. सा.का.नि. 191(अ), दिनांक 12-3-2010, एवं सं. सा.का.नि. 298(अ), दिनांक 8-4-2010, सं. सा.का.नि. 397(अ), दिनांक 11-5-2010, सं. सा.का.नि. 404(अ), दिनांक 13-5-2010, सं.

सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 17-5-2010, सं. सा.का.नि. 432(अ), दिनांक 20-5-2010, सं. सा.का.नि. 434(अ), दिनांक 20-5-2010, सं. सा.का.नि. 451(अ), दिनांक 26-5-2010, सं. सा.का.नि. 618(अ), दिनांक 23-7-2010, सं. सा.का.नि. 689(अ), दिनांक 19-8-2010, सं. सा.का.नि. 886(अ), दिनांक 13-10-2010, सं. सा.का.नि. 899(अ), दिनांक 9-11-2010 और सं. सा.का.नि. 954(अ), दिनांक 6-12-2010, सं. सा.का.नि. 920(अ), दिनांक 30-12-2011, सं. सा.का.नि. 922(अ), दिनांक 30-12-2011 और सं. सा.का.नि. 94(अ), दिनांक 16-2-2012 द्वारा संशोधित किए गए।

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS**

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2012

G.S.R. 115(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Second Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 5 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007 (hereinafter referred to as the said rules), for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(8) In case of a member of the Service being cleared for proforma promotion in a pay band or time scale, the period of his service covered by the proforma promotion shall, on his subsequent reversion to the cadre and appointment to a post

in the said scale, count towards the initial fixation of pay and increments subject to the condition that proforma promotion has been granted to him after considering the following points, namely:—

- (i) such member of the Service concerned should have been approved by the State Government for appointment to the said scale during the relevant period;
- (ii) all the members of the Service senior to such member (excluding those considered unfit) should have started drawing pay in that scale on or before the date from which the proforma promotion is granted to him;
- (iii) vacancy in higher grade, in which member of Service has been granted proforma promotion, should be available in the cadre at the time of his repatriation from deputation.”

[F. No. 11030/3/2010-AIS-II]

DEEPTI UMASHANKAR, Director (Services)

Note :—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 213(E), dated the 20th March, 2007 and subsequently were amended *vide* numbers G.S.R. 23 (E), dated 10th January, 2008, G.S.R. 665(E), dated 19th September, 2008, G.S.R. 253(E), dated 15th April, 2008, G.S.R. 542(E), dated 21st July, 2009, G.S.R. 572(E), dated 13th August, 2009, G.S.R. 820(E), dated 12th November, 2009, G.S.R. 72(E), dated 10th February, 2010, G.S.R. 102(E), dated 25th February, 2010, G.S.R. 191(E), dated 12th March, 2010, G.S.R. 298(E), dated 8th April, 2010, G.S.R. 397(E), dated 11th May, 2010, G.S.R. 404(E), dated 13th May, 2010, G.S.R. 413(E), dated 17th May, 2010, G.S.R. 432(E), dated 20th May, 2010, G.S.R. 434(E), dated 20th May, 2010, G.S.R. 451(E), dated 26th May, 2010, G.S.R. 618(E), dated 23rd July, 2010, G.S.R. 689(E), dated 19th August, 2010, G.S.R. 886(E), dated 13th October, 2010, G.S.R. 899(E), dated 9th November, 2010 and G.S.R. 954(E), dated 6th December, 2010, G.S.R. 920(E), dated 30th December, 2011, G.S.R. 922(E), dated 30th December, 2011 and G.S.R. 94(E), dated 16th February, 2012.